क्रम संख्या–31 (ङ)

पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 25 फरवरी, 2019 ई०

फाल्गुन 06, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन अनुभाग–1

संख्या 131/IX–1/2019/106/2012

देहरादून, 25 फरवरी, 2019

अधिसूचना/शुद्धि–पत्र

शासन की अधिसूचना संख्या–09/IX–1/106/2012/2019, दिनांक 02–01–2019 द्वारा उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2003) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (2) एवं (2–क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना सख्या–1021/IX-1/106/2012 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 का अधिक्रमण करते हुए विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के कर की दरें निर्धारित की गयी हैं। शासन द्वारा जारी उक्त अधिसूचना संख्या–09/IX–1/106/2012/2019, दिनांक 02–01–2019 की सारणी–2 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:–

(एक) क्र०स० 2 (क) के सम्मुख स्तम्भ 2 में आये शब्द व अंक "12 सीट तक के सार्वजनिक सेवायान के लिए प्रतिदिन कर की दर "के स्थान पर शब्द व अंक" 12 सीट तक के लिए सार्वजनिक सेवायान के लिए प्रतिदिन प्रतिसीट कर की दर " पढा जाय।

(दो) क्र०सं० 2 (ख) के सम्मुख 2 में आये शब्द व अंक "12 सीट से अधिक सार्वजनिक सेवायान के लिए कर की दर" के स्थान पर शब्द व अंक "12 सीट से अधिक सार्वजनिक सेवायान के लिए प्रति सीट कर की दर " पढा जाय।

(तीन) क्र०सं० 2 (ख)(एक) के सम्मुख स्तम्भ 3 में आये शब्द व अंक "75 प्रथम तीन दिन के लिए तदपश्चात 20 रूपये प्रतिदिन " के स्थान पर शब्द व अंक "75 प्रथम तीन दिन अथवा उसके भाग के लिए तद्पश्चात 20 रूपये प्रतिदिन " पढा जाये।

(चार) क्र०सं० 2 (ख)(दो) के सम्मुख स्तम्भ 2 में आये शब्द व अंक "120 प्रथम तीन दिन लिए तद्पश्चात 35 रूपये प्रतिदिन " के स्थान पर शब्द व अंक "120 प्रथम तीन दिन अथवा उसके भाग के लिये तद्पश्चात 35 रूपये प्रतिदिन " पढा जाये।

2– उक्त अधिसूचना को केवल इसी सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शैलेश बगौली,
सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 13 परिवहन/163–2019–100+25 (कम्प्यूटर/रीजियो)।